राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे–7 झालाना संस्थानिक क्षेत्र
जयपुर, दूरभाष 0141–2716422

क्रमांकः प.7(1)(7)निमअ/स्टोर/भोजन/2020–21/ 17700 जयपुर, दिनांकः–21/6/2021

खुली बोली सूचना

UBN: .....

निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग में भोजन व्यवस्था हेतु दर संविदा करने हेतु इच्छुक बोलीदाताओ से मोहरबन्द बोलियां दिनांक 08.07.2021 अपरान्ह 1.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। जिसकी अनुमानित लागत 9.50 लाख वार्षिक है। निविदा सूचना एवं बोली दस्तावेज प्रपत्र विभागीय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in एवं http://spprajasthan.gov.in पोटर्ल पर देखे/डाउनलोड किये जा सकते है।

अति0 निदेशक,(WE)
एवं कार्यालयाध्यक्ष
महिला अधिकारिता
राज0, जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे–7 झालाना संस्थानिक क्षेत्र
जयपुर, दरभाष 0141–2716422

क्रमांकः प.7(1)(7)निमअ/स्टोर/भोजन/2020–21/ 17700 जयपुर, दिनांकः– 21/6/2021

खुली बोली सूचना

निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग द्वारा विभागीय कार्यक्रमो के लिए भोजन व्यवस्था हेतु वार्षिक दर संविदा किये जाने हेतु इच्छुक बोलीदाताओ से दिनांक 08.07.2021 अपरान्ह 1.00 बजे तक बोलिया आमंत्रित की जाती है, जिसकी अनुमानित लागत 9.50 लाख वार्षिक है। बोली से सम्बन्धित विस्तृत विवरण, बोली दस्तावेज प्रपत्र इत्यादि विभागीय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in एवं राज्य के उपापन पोर्टल http://spprajasthan.gov.in पर देखे जा सकते है।

अति0 निदेशक,(WE)
एवं कार्यालयाध्यक्ष
महिला अधिकारिता
राज0, जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे–7 झालाना संस्थानिक क्षेत्र
जयपुर, दरभाष 0141–2716422

भोजन व्यवस्था हेतु बोली प्रपत्र

1. बोली प्रपत्र का मूल्य – 500/– रू
2. कार्य की अनुमानित लागत – 9.50 लाख रूपये
3. बोली प्रतिभूति राशि – घोषणा–पत्र
4. बोली बेचने की अतिम तिथि :– 07.07.2021 को अपरान्ह 12.00 बजे तक
5. बोली विभाग को प्रस्तुत करने की तिथि :– 08.07.2021 को अपरान्ह 01.00 बजे तक
6. बोली प्रस्ताव खोलने की तिथि:– 08.07.2021 को अपरान्ह 3.00 बजे
7. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पूरा पता :–

_____

_____

_____

8. आयुक्त/निदेशक, महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज., जयपुर के पते पर .....
9. बोली प्रपत्र शुल्क की रकम राशि रू 500/– डी.डी/बैंकर्स चैक ..... दिनांक .... द्वारा विभाग में जमा करा दी गई है।
10. मैं/हम निविदा में वर्णित समस्त शर्तो का पालन करने के लिए सहमत है तथा उक्त बोली सूचना की अन्य शर्तों जो संलग्न पृष्ठों में दी गई है जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप, हमने हस्ताक्षर कर दिये है का भी पालन करने के लिए हम सहमत है।
11. बोली के साथ वित्त विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 18.12.2020 के अनुसरण में बोली की अनुमानित राशि की एक प्रतिशत बिड प्रतिभूति राशि रूपये 9500/– की 50/– के नॉन ज्यडिशियल स्टाम्प पेपर (संलग्नक "स") घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. हम अपनी विभिन्न मीनूवार न्यूनतम दर मय समेकित कुल योग **संलग्न "अनुसूची–जी"** में अंकित करते है।
12. बोलीदाता एकल स्वामित्व की फर्म है अथवा साझेदारी की :– .....
13. फर्म का शॉप एक्ट/उधोग विभाग/बिक्रीकर विभाग/सहकारी विभाग का रजिस्ट्रेशन, प्रमाण पत्र संख्याः– ..... दिनांकः– .....(प्रति संलग्न करें)
14. फर्म का खाद्य विभाग/नगर परिषद/नगर निगम/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र संख्या ———————— दिनांक ———————— (प्रति संलग्न करें)

15. फर्म के गत दो वर्षो 2019–20 एवं 2020–21 में कम से कम प्रति वर्ष 20.00 लाख रूपये के टर्न ओवर के प्रमाण में बैंलेंस शीट एवं प्रोफिट एण्ड लॉस अकाउन्ट तथा इनकम टैक्स रिर्टन/बैंक स्टेटमेन्ट की प्रति संलग्न करे।

16. भोजन व्यवस्था व कैटरिंग के अनुभव का दो वर्ष का प्रमाण पत्र/कार्यादेश संलग्न करें जिसमें सरकारी/स्वायत्तशासी/प्रतिष्ठित संस्थान .(सरकारी नियम अधिनियम के तहत पंजीकृत) संस्थान के कार्य का अनुभव हो।

17. बोली के साथ संलग्न किये गये प्रपत्रों का विवरण–

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर सहित

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे–7 झालाना संस्थानिक क्षेत्र
जयपुर, दरभाष 0141–2716422

भोजन व्यवस्था हेतु बोली व संविदा की शर्ते

सामान्य शर्तेः–

1. बोलीदाता को बोली सूचना, बोली फार्म में दिये गये निर्देशों के अनुसार सम्बोधन तथा मोहरबंद लिफाफों में प्रस्तुत करना चाहिए। प्रथम लिफाफा तकनीकि योग्यता के संबंध में होगा तथा द्वितीय लिफाफा वित्तीय/दरों के उद्वरन (**संलग्न जी अनुसूची**) से संबंधित होगा।
2. **बोलीदाता को दो अलग अलग सील बंद लिफाफों में तकनीकि बोली व दर/वित्तीय बोली लिख कर प्रस्तुत करनी होगी और लिफाफो पर तकनीकि व दर बोली स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी। दोनों अलग अलग लिफाफों को एक बडे लिफाफे में डालकर प्रस्तुत करने होंगे।**
3. **तकनीकी बोली के साथ निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।**
   I. बोली प्रतिभूति राशि का घोषणा–पत्र।
   II. "टर्न ओवर" गत दो वर्षो में कम से कम प्रति वर्ष 20.00 लाख रूपये होना आवश्यक है। इसके प्रमाणन साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक है। टर्न ओवर के प्रमाण में चार्टेड अकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र संलग्न प्रर्फोमा (संलग्नक "ब") में प्रस्तुत किया जाना होगा।
   III. फर्म का रजिस्ट्रेशन– शॉप एक्ट/उधोग विभाग/बिक्रीकर विभाग/सहकारी विभाग का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति
   IV. खाद्य विभाग/नगर परिषद/नगर निगम/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र की प्रति
   V. कार्यानुभव – इस प्रकार के किये गये कार्यो का कम से कम दो वर्ष का अनुभव/ संबंधित कार्य आदेशों की प्रति संलग्न करें। दो वर्षो में किसी राजकीय विभाग/स्वायत्तशासी संस्था/प्रतिष्ठित संस्थान .(सरकारी नियम अधिनियम के तहत पंजीकृत) उपक्रम में किये गये कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर सहित

VI. बोली लगाने वाला यह शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि मेरी फर्म/एजेन्सी किसी भी उपापन संस्था एवं राज्य सरकार द्वारा विवार्जित एवं ब्लैक लिस्ट नही की गई है।

VII. बोली लगाने वाला यह शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह माल का विनिर्माता है।

VIII. फर्म का माल एवं सेवा (GST) में पंजीकृत होने का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा अन्यथा संस्था/ऐजेन्सी/फर्म के आवेदन पर विचार नही किया जायेगा।

4. **सामान्य शर्तो के अन्तर्गत क्रमांक 3 के तहत उल्लेखित 8 दस्तावेज (I-VIII) प्रस्तुत करने वाले निविदा दाताओं की ही तकनिकी रूप से सफल निविदा दाता माना जायेगा। एवं तकनीकि बोलीदाताओं में तकनीकि रूप से सफल बोलीदाताओं की दर/वित्तीय बोली खोली जायेगी।**

5. बोली स्पष्ट शब्दों व अक्षरों में पेन/स्याही से ही भरी जाये। किसी भी प्रकार की कांट–छांट या ओवर राईटिंग के कारण बोली निरस्त की जा सकती है अथवा बोली खोलने वाली समिति ऐसी कांट–छांट ओवर राईटिंग पर जो भी निर्णय ले, वह बोलीदाता को मान्य होगा।

6. फर्म के संचालन में किसी भी परिवर्तन की सूचना अनुबन्धकर्ता फर्म द्वारा विभाग को लिखित में दी जावेगी किन्तु इन परिस्थितियों में भी विभाग से हुए इस अनुबन्ध के संबंध में अनुपालना के दायित्व से मूल अनुबन्धकर्ता को विमुक्त नही किया जा सकेगा।

7. बोलीदाता बोली पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बोली की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करेगा। बोलीदाता द्वारा बोली प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर इस बात को दर्शायेगा कि बोलीकार ने सभी शर्तो को पढ लिया है एवं समझ लिया है। अतः बोलीकारों को चाहिए कि सभी शर्तो को पढकर समझ ले। यदि किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो वह किसी भी कार्यालय दिवस में विभाग के प्रभारी अधिकारी से मिलकर प्राप्त कर सकते है।

8. **बोलीदाता द्वारा अंकित की गई कोई भी अतिरिक्त शर्त विभाग को मान्य नही होगी। बोली शर्तो के विपरीत शर्त मान्य नही होगी तथा ऐसी बोली स्वीकार नही की जावेगी।**

9. ठेकेदार को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा। किसी कार्यक्रम के पूर्ण होने के उपरान्त ही ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिलों का भुगतान कार्य संतोषजनक होने एवं बोली शर्तों की पालना होने पर किया जावेगा।

10. यदि बोलीदाता अपनी ओर से संविदा निरस्त करता है तो ऐसी स्थिति में यदि संस्थान को वैकल्पिक व्यवस्था करने में कोई अतिरिक्त धनराशि व्यय करनी पडेगी तो उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व अनुबन्धकर्ता/फर्म का होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर सहित

11. **अनुबन्धकर्ता फर्म को दिया गया कान्ट्रेक्ट वह किसी अन्य एजेन्सी अथवा फर्म को नही सौंप सकेगा अर्थात सबलेट नही कर सकेगा।**
12. अनुबंध की अवधि अनुबंध की दिनांक से एक वर्ष के लिए होगी तथा परस्पर सहमति से यह अवधि अनुबंध समाप्त होने की तिथि से RTPP नियमो के अनुसार बढाई जा सकती है। असंतोषजनक सेवा की स्थिति में अनुबंध की अवधि कम भी की जा सकती है।
13. विभाग न्यूनतम दर/वित्तीय वाली बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा किसी भी बोली या बोली के भाग को बिना कारण बताये रद्द करने का पूर्ण अधिकार विभाग को होगा।
14. बोली के साथ वित्त विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 18.12.2020 के अनुसरण में बोली की अनुमानित राशि की एक प्रतिशत बिड प्रतिभूति राशि रूपये 9500/– की 50/– के नॉन ज्यडिशियल स्टाम्प पेपर (संलग्नक "स") घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
15. बोली लगाने वाला उपापन प्रक्रिया आदि के लिए समाहित प्रदत्त दिशा निर्देश एवं सत्यनिष्ठा संहिता का पूर्णरूपेण सत्यनिष्ठा से पालना के लिए प्रतिबद्व रहेगा।
16. बोली दाता राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 46 (1) के अध्याधिन दोष सिद्व होने पर धारा 46 (2 से 5) के प्रावधानानुसार बोलीदाता को नियमानुसार बोली लगाने से विवर्जन (debarrment) किया जा सकेगा।
17. बोली स्वीकृत होने की स्थिति में सफल बोलीदाता को 500/–रू नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध करना पडेगा। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अनुबंधकर्ता को निम्नानुसार कार्यसम्पादन (Performance Security) राशि के रूप में निदेशालय में डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक द्वारा जमा करानी पडेगी।
    1. सामान्य बोलीदाता से –2.5%
    2. SSI Unit से –0.5%
    3. रूग्ण औधोगिक ईकाई से –1.00%

    उक्त अनुबंध के संतोषजनक निष्पादन होने की स्थिति में अनुबंध की अवधि समाप्त होने पर वापिस लौटा दी जावेगी। इस राशि पर विभाग द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। MSME में पंजीकृत फर्मो का कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में नियमानुसार छूट देय होगी।

18. करार के पूर्ण किए जाने तथा स्टांपिंग किये जाने का व्यय बोलीदाता द्वारा संदत किया जाएगा और विभाग को करार का स्टाम्प शुद्व प्रतिलेख निःशुल्क प्रस्तुत किया जावेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर सहित

विशेष शर्ते

19. यदि भोजन, चाय, नाश्ता आदि मीनू के अनुसार तथा अच्छी किस्म का नहीं पाया गया तो अस्वीकार कर दिया जावेगा तथा निविदा की शर्तो के अनुरूप उचित समय के भीतर उसे बदलना होगा। इस हेतु प्रदायक को कोई अतिरिक्त मूल्य अथवा राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
20. किसी भी समय भोजन की व्यवस्था सुचारू व सन्तोषजनक रूप से न होने पर यदि आवश्यक समझा गया तो कार्य अनुबन्धकर्ता फर्म के हर्जेखर्चे पर अन्य एजेन्सी /साधन से करवाया जावेगा तथा यदि इस व्यवस्था पर कोई अतिरिक्त व्यय विभाग को वहन करना पडा तो वह राशि अनुबन्धकर्ता फर्म से वसूली योग्य होगी।
21. अनुबंधकर्ता फर्म द्वारा भोजन व्यवस्था अनुबंध की शर्तो के अनुरूप न होने की स्थिति में विभाग को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह इस अनुबंध को, किसी भी समय बिना पूर्व नोटिस के समाप्त कर दे।
22. जयपुर शहर में भोजन व्यवस्था हेतु निर्देशित किये जाने पर निर्देशित स्थान पर भी भोजन व्यवस्था उन्हीं दरों पर की जानी होगी। इसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
23. विभाग द्वारा पूर्ण संतुष्टि के पश्चात ही आनलाईन से भुगतान किया जावेगा। किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा।
24. भोजन, चाय, व नाश्तें की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी होने पर विभाग को उचित सीमा तक कटौती करने का पूर्ण अधिकार होगा। कटौती के संबंध में आयुक्त/निदेशक, महिला अधिकारिता का निर्णय अंतिम होगा।
25. अनुबंधकर्ता फर्म के ठेकेदार एवं उसके कर्मचारी सम्भागीयों एवं विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से शिष्ट व्यवहार करने के लिए बाध्य होंगे। यदि किसी कार्यकर्ता/वैटर्स द्वारा दुराचरण किया जाना, अभद्र व्यवहार किया जाना अथवा नशे में होना पाया गया तो विभाग द्वारा उसे तत्काल परिसर से बाहर भेज दिया जावेगा। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर विभाग को संविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
26. सम्भागीयों को दिया जाने वाला नाश्ता एवं भोजन का कार्यक्रम विभाग द्वारा बताये गये मीनू के अनुसार ही तैयार किया जावेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर सहित

27. अनुबंधकर्ता फर्म के लिए यह आवश्यक होगा कि वह भोजन व्यवस्था के लिए लगाये गये कार्यकर्ताओं/वेटर्स की सूची मय सम्पूर्ण विवरण विभाग में अनुबंध करने के समय प्रस्तुत करेगे। इसके पश्चात समय–2 पर होने वाले परिवर्तन की सूचना विभाग के अधिकृत अधिकारी को इसी प्रकार के विवरण के साथ उपलब्ध कराते रहेगें।

28. अनुबंधकर्ता फर्म के वेटर्स उचित वर्दी में रहेगें। उक्त वर्दी का व्यय अनुबंधकर्ता फर्म को ही वहन करना पड़ेगा।

29. अनुबंधकर्ता फर्म को चाय, नाश्ते व खाने की व्यवस्था कार्यक्रम स्थल में करनी होगी। भोजन गर्म व ताजा होना आवश्यक है।

30. नाश्ते ,चाय व भोजन में काम आने वाली क्राकरी, बर्तन, पकाने आदि के लिए ईधंन की व्यवस्था स्वयं अपनी लागत पर अनुबंधकर्ता फर्म को करनी होगी। केटरर्स द्वारा खाना बनाने एवं खिलाने पिलाने के बर्तन व क्राकरी अच्छी किस्म के एवं साफ सुथरे होने चाहिए।

31. केटर्स द्वारा बिजली का दुरूपयोग नहीं किया जावेगा किसी भी प्रकार के बिजली उपकरणों का प्रयोग करने की स्थिति में उसे पृथक से बिजली का मीटर लगवाना होगा तथा खाने, चाय इत्यादि में बिजली का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। ऐसा पाया जाने पर विभाग द्वारा पेनल्टी या कटौती की जावेगी।

32. केटर्स को सम्भागीयों को खडे हुये अथवा उनके निश्चित स्थान पर बैठाकर सुव्यवस्थित तरीके से खिलाने पिलाने हेतु उचित वेटर्स की व्यवस्था करनी होगी।

33. यद्यपि विभाग द्वारा खाना बनाने के लिए स्थान उपलब्ध कराया जायेगा किन्तु **बूफे सिस्टम की स्थिति में टेबल मय कवर एवं बैठकर भोजन कराने की स्थिति में दरी पट्टी अनुबंधकर्त्ता फर्म द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी।**

34. कैटर्स द्वारा चाय, नाश्ता, व भोजन कार्यक्रम स्थल में ही बनाया जावेगा। खाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का अवलोकन विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है। प्राधिकृत अधिकारी खाने की किसी भी वस्तु/सामग्री की उचित जांच एवं परीक्षण कराने के लिए सक्षम होगा। भोजन की गुणवत्ता के संबंध में विभाग द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा दिए निर्देशानुसार केटर्स को भोजन व्यवस्था में सुधार करना होगा। यदि केटर्स द्वारा अपेक्षित सुधार नहीं किया जाता है तो विभाग को बोली निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर सहित

35. कार्यक्रम के समय में कभी भी परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार संबंधित प्रभारी अधिकारी को होगा।

36. बोलियों की विधि मान्यता की कालावधि 90 दिवस की होगी।

37. **अनुसूची "जी"** में अंकित नाश्ते व भोजन के सभी मीनू में से कोई भी मीनू किसी भी दिन किसी भी समय देने के लिए केटरर्स बाध्य होगा। उक्त संदर्भ में प्रतिदिन विभाग द्वारा जो भी निर्देश केटरर्स को दिए जावे वह उसे मानने के लिए बाध्य होगा।

38. विभाग द्वारा कार्यक्रम की पूर्व सूचना कैटरर्स को दी जावेगी तत्पश्चात केटरर्स का यह कर्तव्य होगा कि वह कार्यक्रम की निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व प्रभारी अधिकारी से व्यक्तिगत सम्पर्क कर संभावित संख्या ज्ञात करें। संख्या में कमी/अधिक की स्थिति में सम्भागियों की संख्या कार्यक्रम दिनांक को प्रातः 9.00 बजे तक बतलाई जावेगी।

39. खाना बनाने के स्थान पर सफाई का विशेष ध्यान रखा जावेगा तथा खाना बनाते समय जो कचरा अपशिष्ट रूप में रहेगा उसे कार्यक्रम स्थल से बाहर डालने की जिम्मेदारी केटरर्स की होगी। भोजन खिलाने में काम आये सभी बर्तनों की सफाई ठेकेदार द्वारा करवाई जावेगी।

40. केटरर्स को संभलाये गये स्थान एवं उस स्थान पर लगे हुए उपकरणों व बिजली उपकरणों को यदि किसी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो उस पर हुआ व्यय केटरर्स से वसूली योग्य होगा।

41. विशेष परिस्थिति में तुरन्त व्यवस्था हेतु कैटरर्स को टेलीफोन पर सूचित किया जावेगा। अतः केटरर्स के यहां स्वयं का टेलीफोन/मोबाइल फोन होना अनिवार्य है अन्यथा विभाग उसे कार्य आदेश देने के लिए बाध्य नहीं होगा। सामग्री आपूर्ति में विलम्ब होने पर कैटर्स पर विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति रूपये 500/– प्रतिघंटा हर्जाना लगाया जायेगा।

42. कार्यक्रम के अतिरिक्त विभाग द्वारा जब भी कार्यक्रम स्थल में रह रहे संभागियों की संख्या के अनुसार भोजन व्यवस्था हेतु आदेश दिया जावेगा तो केटरर्स को इस हेतु निर्देशानुसार चाय, नाश्ता एवं भोजन की व्यवस्था करनी होगी।

43. कार्यक्रम के दौरान विशेष परिस्थितियों में संभागी द्वारा यदि चाय, दूध की अतिरिक्त मांग की जाती है, तो प्रभारी अधिकारी के निर्देशों के उपरान्त तत्काल उपलब्ध करा दिया जाये।

44. खाने में प्रयोग ली जाने वाली मौसमी सब्जी व दालों का मीनू भी फर्म द्वारा योजना प्रभारी अधिकारी को बताना होगा। विभाग द्वारा विकल्प के चयन पश्चात् निर्देशानुसार भोजन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

45. सब्जी दोपहर व रात्रि के भोजन की अलग–अलग होनी चाहिए।

46. भोजन व्यवस्था में शेष बची सामग्री को किसी भी दशा में अगले दिवस उपयोग में लिए जाने की अनुमति नही दी जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर सहित